प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/1/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10/2/26 को पेश हो। साक्ष्य मे कन्नोड श्री जगन्नाथ का शपथपत्र पेश किया।
10/2/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24/3/26 को पेश हो।
24/3/26	वकील वादी उप० वकील वादी साक्ष्य मे अब कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते। वादी साक्ष्य बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7/5/26 को पेश हो।
7/5/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16/5/26
16/5/26	वकील वादी उप० बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/5/26 को पेश हो।
23/5/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

केस नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
163/दावा/2024	05.06.2024	23.04.2026

कचोड़ उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0।

वादी

बनाम

1. बद्रीलाल उम्र वयस्क पुत्र श्री मगना जाति जाट निवासी जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
2. सुलताब उम्र वयस्क पुत्री श्री मगना जाति जाट निवासी जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान हाल निवासी खानखेड़ा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान
3. महावीर उम्र वयस्क पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तह. तालेडा जिला बून्दी राज.
4. सत्यनारायण उर्फ फोरया उम्र वयस्क पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
5. ब्रहमानन्द उम्र वयस्क पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान मृतक कायम मुकाम-

   5/1. संजीत पुत्र ब्रहमानन्द जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
   5/2. कान्नी बाई पत्नी ब्रहमानन्द जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.
   5/3. विलास पुत्री ब्रहमानन्द जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
   5/4. उषा पुत्री ब्रहमानन्द जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान
   5/5. मोनिका पुत्री ब्रहमानन्द जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला ब्रन्दी राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता वादीः- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादीः-

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा- 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं. 612 रकबा 0.2752 हैक्टेयर वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी में नारायण पुत्र कालू की खातेदारी मे दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदार नारायण पुत्र कालू अविवाहित था जिसकी लाऔलाद मृत्यू हो चुकी है। मृतक खातेदार नारायण के एक बहिन थी जिसका नाम भूरी था भूरी का भी देहान्त हो चूका है जिसके दो पुत्र हुये जगन्नाथ व मगन, इनकी भी मृत्यू हो चूकी है। नारायण की मृत्यू के बाद उक्त भूमि की एकमात्र वारिस उसकी बहिन भूरी बाई थी भूरी बाई ने अपने जीवित अवस्था मे ही उक्त भूमि बंटवारे में वादी के पिता जगन्नाथ को दे दी थी तत्समय भूरी के दुसरे पुत्र मगना ने भी अपना हक उक्त भूमि मे जो निहित था उसको अपने भाई जगन्नाथ के पक्ष में छोड दिया था। मगना के वारिस प्रतिवादी सं 1 व 2 है तथा जगन्नाथ के वारिस वादी तथा प्रतिवादी सं 3 लगायत 5 एवं 5 के कायम मुकामान है प्रतिवादी सं 3 लगायत 4 एव मृत प्रतिवादी स. 6 के कायम मूकामान प्रतिवादी सं 5/1 लगायत 5/5 ने भी उक्त भूमि मे निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष मे छोड दिया था तथा वादी को ही एकमात्र उक्त भूमि का खातेदार मानते हुये बटवारे मे दे दी थी तब से वादी ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने तहसीलदार तालेडा के समक्ष उक्त भूमि का फौती इंतकाल स्वयं के नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया किया तो तहसीलदार तालेडा ने वादी को 15 दिवस पूर्व सलाह दी की आप माननीय न्यायालय से स्वयं के पक्ष मे अधिकार घोषणा की डिक्री जारी करवाये तभी हम आपके पक्ष मे अर्थात वादी के पक्ष मे फौती इंतकाल दर्ज करेंगे। प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 एवं मृत प्रतिवादी स. 6 के कायम मुकामान प्रतिवादी सं 5/1 लगायत 5/5 को वादी के पक्ष में उक्त भूमि की खातेदारी

घोषणा की डिक्री जारी किये जाने मे किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि उक्त भूमि में वादी को ही प्राप्त हुई थी। वादी को अधिकार प्राप्त कि माननीय न्यायालय से वादवर्णित भूमि वादी के पक्ष मे खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे तथा तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय का आदेश प्राप्त करे की वादवर्णित भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज किया जाये। प्रतिवादी संख्या 6 क्रमशः राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी का वाद अतिआवश्यक प्रकृति का है जो कि प्रतिवादी वादी की वादवर्णित भूमि पर जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। प्रतिवादीगण ने भूमि पर वादी का हक अधिकार मानने से इनकार कर दिया यदि दो माह पूर्व का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया गया तो प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जायेंगे तथा वादी का वाद प्रस्तुती का अभिप्रायः ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वादीगण धारा 80 (2) जा0दि0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय का निर्णय व डिक्री जारी की जावे कि कृषि भूमि खसरा सं 612 रकबा 0.2752 हैक्टेयर वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। पर वादी के पक्ष मे खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री जारी की जावे तथा तहसीलदार तालेड़ा के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित करे की वाद वर्णित भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज करे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी 1 लगायत 4 एवं 5/1 लगायत 5/5 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया।

प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश करने से प्रकरण में तनकीयात कायम नही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी।

वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में स्वयं वादी का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी, खाता सं0 नया 148 पुराना 129 खसरा सं0 612 रकबा 0.2752 है0 वाके ग्राम जलोदी प्रदर्श-1 पेश की। अन्य साक्ष्य पेश नही करने से साक्ष्य वादी बन्द की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही किये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 एवं 5/1 लगायत 5/5 को वादी के पक्ष में उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री किये जाने में किसी प्रकार का कोई एतराज नही है। क्योकि उक्त भूमि बंट्वारे में वादी को ही प्राप्त हुयी है। अतः वाद वादी स्वीकार कर कृषि भूमि खसरा सं0 612 रकबा 0.2752 है0 वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा पर वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकार घोषणा की डिक्री जारी की जावे। तथा तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित करे की वाद वर्णित भूमि का नामान्तरण वादी के नाम दर्ज करे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पँहुचे है कि वाद वर्णित आराजी खसरा सं0 612 रकबा 0.2752 है0 वाके ग्राम जलोदी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नारायण पुत्र कालू जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवं वादी द्वारा जिस प्रकार से वाद पत्र की चरण सं0 2 में पारिवारिक वर्णन किया गया है। उसकी प्रमाणिकता के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। जो नारायण के विधिक उत्तराधिकारी को प्रमाणित करता हो। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कही भी यह अंकन नही किया है की उक्त भूमि नारायण से पूर्व किस के खाते दर्ज थी एवं तत्पश्चात वादी वाद वर्णित आराजी पर किस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु अधिकार रखता है। वादग्रस्त आराजी जो की नारायण पुत्र कालू के खातेदारी अधिकार में थी एवं नारायण की मृत्यु के पश्चात उसके फोती नामान्तरण बाबत कार्यवाही नही कर सीधे अधिकार घोषणा बाबत यह वाद प्रस्तुत क्यो किया गया। वादग्रस्त आराजी नारायण पुत्र कालू जो की अविवाहित एवं लाओलाद मृत्यु हुयी है उसकी भूमि नियमानुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी या दितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों के दर्ज रिकार्ड होनी चाहिये थी किन्तु वादी द्वारा उक्त कार्यवाही बाबत कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश नही किये ना ही नारायण के विधिक उत्तराधिकार बाबत कृत कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण का किस प्रकार हक

विहित है। यह तथ्य स्पष्ट नही होता है। अतः वाद वादी वादग्रस्त आराजी पर वास्तविक खातेदार के वास्तविक उत्तराधिकारी के हक को प्रमाणित करने एवं स्वयं के अधिकारों को प्रमाणित करने में असफल रहने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी